मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 29, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामोद्योग मंत्री कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 25 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर नगर के विक्टोरिया मार्केट में अग्नि से पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के कृषकों द्वारा विक्रय किये गये बीज की राशि का भुगतान मध्यप्रदेश बीज निगम द्वारा न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के खोड़सा स्थित निजी तालाब से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री मदन कुशवाह, रामलखन सिंह पटेल, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के बेलागांव में गोली चालन की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, दिनांक 7 जुलाई, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक 548) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2010